

न्यायालय अपर समाहर्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या-14/2022

प्रसंग:- राधा देवी एवं 01 अन्य - बनाम - बसंती देवी एवं राज्य सरकार।

आदेश

2-7-2025
उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक-306/विधि दिनांक-05/03/2025 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदिका राधा देवी, पति-स्व0 अर्जन सिंह एवं मालती देवी, पति-स्व0 नारायण राम, दोनों निवासी ग्राम-तिलैया बस्ती, पोस्ट- झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(i)(b) के तहत मौजा-तिलैया, थाना नं0-244 खाता नं0-855, प्लॉट नं0-2982, रकवा-2.5 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

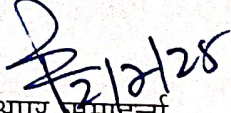
तत् आलोक में अंचल अधिकारी, कोडरमा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर सुना गया।

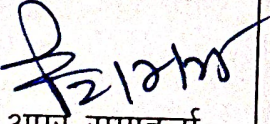
विक्रेता एवं क्रेता द्वारा अपना-अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत कागजात के अनुसार विक्रेता (आवेदिका) राधा देवी, पति-स्व0 अर्जन सिंह एवं मालती देवी, पति-स्व0 नारायण राम, दोनों निवासी ग्राम-तिलैया बस्ती, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा एवं क्रेता बसंती देवी, पति-अशोक राम, ग्राम-तिलैया बस्ती, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के निवासी है। विक्रेता जाति के कहार है एवं क्रेता भी जाति के कहार है, दोनों एक ही वर्ग पिछड़ा जाति अन्तर्गत आते हैं। अवोदक (विक्रेता) द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि बिक्री की जा रही है। विक्रेता ईलाज हेतु भूमि बिक्री करना चाहते हैं। विक्रेता एवं क्रेता भूमि खरीद-बिक्री हेतु सहमत हैं।

अंचल अधिकारी, कोडरमा का पत्रांक-706 दिनांक-23.04.2025 द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-तिलैया, थाना नं0-244 खाता नं0-855, प्लॉट नं0-2982, रकवा-2.5 डी0, भूमि रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक भूमिहिन के श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही वर्ग (पिछड़ा जाति) के अन्तर्गत आते हैं तथा दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुमति दी जा सकती है, का मन्तव्य दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं मन्तव्य के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (i)(b) के तहत प्रश्नगत मौजा-तिलैया, थाना नं०-244 खाता नं०-855, प्लॉट नं०-2982, रकवा-2.5डी० भूमि भूमि बसंती देवी, पति-अशोक राम ग्राम-तिलैया बस्ती, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश विभागीय पत्रांक-6144/रा० दिनांक-21.12.2017 से आच्छादित रहेगा। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।